

प्रधान,

विद्युत् प्रकाश मुक्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
मिशन-2 समुदायकम्,
प्रीति विहार नई दिल्ली ।

तख्तक: दिनांक: 09 जून, 2004

विषय: 78 अनुभाग

विषय:-

सिटी पब्लिक स्कूल ई-3 सेक्टर-6। नोस्टा नौसमकुलनगर को सी०बी०एस
नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने विषयक ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का
निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को **सी०बी०एस०ई** नईदिल्ली से
संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार की निम्नलिखित
प्रतिबंधों के अधीन अनापत्ति नहीं है :-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सौसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया
जायेगा ।
- 2- विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के
बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे 30प्र०मा० शिक्षा परिषद द्वारा
संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से
अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी
और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा वार्षिक शिक्षा
परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक
शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इकायमिशन
नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषद
की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से 30प्र०मा० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा
प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो
जायेगा ।

- 5- संस्था एवं शिक्षण एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तें नहीं दिये जायेंगे ।
- 6- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा शर्तों के लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 7- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
- 9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की वृद्ध या मिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भ्रमदीय,

। विमल प्रकाश गुप्त ।
संयुक्त सचिव ।

पू0संख्या एवं दिनांक तैव

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, गौतमबुद्धनगर ।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, 30 प्र० लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, सिटी पब्लिक स्कूल ई०-3 सेक्टर-6। नौरहा गौतमबुद्धनगर ।
- 6- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

। विमल प्रकाश गुप्त ।
संयुक्त सचिव ।

6